ई-रिक्शा के बकाया रुपए के लिए दोस्त की गला रेतकर हत्या करने वाले गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने रिंग रोड के पास हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मात्र 4 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ई-रिक्शा के बकाया रुपये को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि सांगानेर सदर थाना इलाके में स्थित सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास रिंग रोड पर 27 जनवरी को एक व्यक्ति का गला कटने की सूचना मिली। जहां मृतक की पहचान सत्तार खां (40) निवासी सांगानेर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी इनायत हुसैन ने सत्तार को विश्वास में लेकर पहले उसे शराब पिलाई और फिर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला किया। सत्तार को अस्पताल ले जाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

- **सांगानेर सदर पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा**

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक ने आरोपी से एक पुराना (सेकंड हैंड) ई-रिक्शा खरीदा था। कुछ पैसे चुका दिए गए थे,लेकिन कुछ राशि बकाया थी। इसी बकाया भुगतान को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। इस पर घटना की गंभीरता को देखते हुए सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमिनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साधनों और साइबर सेल की मदद से संदिग्धों का पीछा कर महज 4 घंटे में आरोपी को इनायत हुसैन (24) निवासी टोंक हाल सांगानेर को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस हत्या में सहयोगी एक बाल अपचारी (नाबालिग) निरुद्ध किया गया। पुलिस ने इस संबंध में सांगानेर सदर थाने में हत्या की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

'अस्थाई तौर पर दी गई सेवा अवधि को भी शामिल करें'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अस्थाई कर्मचारी स्वीकृत पद पर वर्षों तक नियमित कर्मचारी की तरह निरंतर सेवा देता है और उसे बाद में नियमित करने पर वरिष्ठता, पदोन्नित और पेंशन परिलाभ के लिए पूर्व में की गई सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा में मानते हुए उस आधार पर पदोन्नित, वेतन परिलाभ सहित पेंशन देने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश बाबूलाल मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अक्टूबर, 1986 में परिवहन विभाग में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर धौलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा था। राज्य सरकार ने स्वीकृत पद पर उसकी नियुक्ति की थी। इसके बाद वह लगातार विभाग में सेवारत रहा और उसका कई जगहों पर नियमित कर्मचारी की तरह तबादला भी किया गया।

इसके बाद साल 1992 में उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियमित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि सेवा परिलाभों के लिए याचिकाकर्ता की सेवा अवधि की गणना साल 1992 से की गई। जिसके चलते उसे तय समय पर पदोन्नित और चयनित वेतनमान सहित अन्य परिलाभ नहीं मिली। इसके बाद वह सेवा से रिटायर भी हो गया।

पांच गाड़ियों को टक्कर मारते हुए मॉल की दीवार में घुसी कार

राजधानी में फिर नजर आया तेज रफ्तार कार का कहर

बजाज नगर इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त दीवार। फोटो-राष्ट्रदूत

जयपुर। बजाज नगर इलाके में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पांच वाहनों को टक्कर मारते हुए मॉल की दीवार से जा टकराई। हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गुस्साए लोगों ने मौके पर ही कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे टोंक रोड स्थित किसान मार्ग की रेड लाइट पर हुई। बजाज नगर की ओर से सांगानेर की तरफ जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और मॉल के सामने खड़ी तीन बाइकों और दो कारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार महिमा मगनेस मॉल की रेलिंग और दीवार से जा टकराई। हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आईं। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बजाज नगर थाना प्रभारी पूनम चौधरी ने बताया कि कार चालक राजेश खंडेलवाल (30), निवासी बापू नगर शराब के नशे में मिला है। उसे राउंडअप कर मेडिकल जांच करवाई गई है।

- **पुलिस के मुताबिक ने कार चालक शराब के नशे में था**

एक्सीडेंट थाना (ईस्ट) के एएसआई ईश्वर सिंह ने बताया कि चालक किसी वाहन को बचाने के प्रयास में ओवर स्पीड में कार से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने कार चालक से मारपीट की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और क्षितग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

खाद्य टीम ने 43 हजार लीटर घी सीज किया

फर्म निर्धारित पते के स्थान पर अन्य जगह कर रही थी कारोबार

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 हजार लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि जयपुर में श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा स्थित फर्म गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट भोग विनायक ब्राण्ड से घी का उत्पादन करती है। प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्राण्ड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाये गये थे। इस पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह एवं अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मैसर्स गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, माचेडा, जयपुर पर पहुंचकर जांच की तो पाया की फर्म का जो पता खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं कार्यालय रिकॉर्ड में है, वहां पर नहीं होकर चोरी-छिपे अन्य स्थान से घी का कारोबार कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूर्ण अवहेलना है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मौके पर पाया कि इस संस्थान पर एक अन्य फर्म जिसका नाम श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट है भी संचालित हो रही है। दोनों फर्मों के तीन गोदामों में भोग विनायक ब्राण्ड का 9065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्राण्ड का 17741 लीटर एवं नक्ष डेयरी ब्राण्ड का 16617 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में पाया गया। सभी ब्राण्ड के नमूने लेने के बाद इस 43 हजार 421 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया। नमूनों की जांच बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- **पूर्व में भी इस फर्म के घी का नमूना अनसेफ पाया गया था**

अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पूर्व में केंद्रीय प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट में भोग विनायक ब्राण्ड घी का नमूना जांच में अनसेफ पाया गया था। इस पर प्रदेशभर में बाजार से इस घी को तत्काल वापस लिए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। फर्म के खिलाफ मिली अनियमितताओं के दृष्टिगत खाद्य अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

केबल से भरा ट्रेलर पलटा

जयपुर। हरमाड़ा इलाके के नींदड़ मोड़ पर बुधवार देर रात केबल से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार सीकर की ओर से केबल के बड़े बंडल लेकर जयपुर आ रहा ट्रेलर रात नींदड़ मोड़ पर हाईवे से निकलते समय अचानक सामने मुड़ रही एक कार को बचाने के प्रयास में बेकाबू हो गया। चालक ने जैसे ही तेज ब्रेक लगाए, ट्रेलर संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रेलर के पलटने से केबिन में चालक फंस गया।

सार-समाचार

जलदाय कर्मचारियों की विशाल सभा

जयपुर। प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में गुरूवार को तिलक नगर स्थित जलदाय विभाग परिसर में कर्मचारियों की विशाल आम सभा हुई। जिसमें जयपुर शहर से हजारों जलदायकर्मी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए इंटक के वरिष्ठ नेता बाबूलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत, विधि सलाहकार मुकेश कुमार माथुर एवं बनवारी लाल सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि जलदाय विभाग में लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे आम जनता को भी पेयजल आपूर्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभा में नई भर्ती शीघ्र करने, स्टोर मुंशियों के सवलीकरण, वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अनेक लंबित मांगों को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की पुरजोर मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो जलदाय इंटक को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर यूथ इंटक के तत्वावधान में प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जलदाय कर्मचारियों ने 21 यूनिट रक्तदान भी किया।

यूजीसी विनियम पर पुनर्विचार की मांग

जयपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किए जा रहे समानता संवर्धन विनियम 2026 को लेकर ब्राह्मण समाज राजस्थान ने पुनर्विचार की मांग की है। ब्राह्मण समाज राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पंडित अंबिका प्रकाश पाठक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी द्वारा यह विनियम सामाजिक समरसता, समान अवसर और भेदभाव-रहित वातावरण की मंशा से लागू किया गया होगा, लेकिन इसके लागू होने के बाद इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया और समाज में अविश्वास का वातावरण बन रहा है तथा फर्जी शिकायतों के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पंडित पाठक ने कहा कि विधि और पदों के दुरुपयोग तथा फर्जी शिकायतों के मामलों से समाज पहले ही अवगत है। ऐसे में इस विनियम के सभी पक्षों पर एक बार पुन: गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसकी आड़ में सामाजिक सौहार्द को नुकसान न पहुंचाया जा सके। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस विषय में सतर्कता बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वर्ग या व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत शर्मा, जिलाध्यक्ष भुवनेश तिवाडी, महेश शर्मा, सदस्य नेता रमेश चंद्र शर्मा, अनीश शर्मा, डॉ. शारदा शर्मा तथा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

12 साल पुराने मामले में रीडर को सजा

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 12 साल पहले रिश्वत लेने से जुड़े मामले में झुंझुनूं जिले के मलसीसर तहसीलदार के कार्यालय के तत्कालीन रीडर मनीष कुमार को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता बजरंग लाल ने 21 जुलाई 2014 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि राजनीतिक रंजिश के चलते पंचायत समिति प्रधान ने उसके खिलाफ भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसील में झूठा मामला दर्ज कराया है। केस में लंबी तारीख देने और उसे हल्का करने की एवज में रीडर उससे पांच हजार रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सत्यापन के बाद कार्रवाई कर 23 जुलाई को अभियुक्त को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में जांच के बाद मार्च, 2015 में एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। इसके बचाव में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह घटना के समय रीडर के पद पर काम ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा परिवादी की पत्रावली की लिखावट उसकी हस्तलेख से भी नहीं मिलती है।

शिवोहम् कार्यक्रम का पोस्टर जारी

जयपुर (कासं)। आज मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एमएनआईटी में शिवोहम् कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंदकुमार, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल, आर्या कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर ऑफ़ फाइनेंस रामचरण शर्मा एवं कार्यक्रम संयोजक धनंजय दिवाकर, मनु काम्बोज, श्रीकांत मूंदड़ा के द्वारा किया गया।

बीते 15 साल में 26 लाख खेजड़ी काटी : रविन्द्र भाटी

'यही हाल रहा तो आने वाले समय में इनकी संख्या 50 लाख होगी'

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बाड़मेर के शिव क्षेत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी, ओरण और गौचर भूमि के संरक्षण का मुद्दा पुरज़ोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि मरुस्थलीय जीवन का आधार है और इससे क्षेत्र की पर्यावरणीय व आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है।

विधायक भाटी ने सदन को बताया कि खेजड़ी हमारे लिए जीवन के समान है। मां अमृता देवी ने सैकड़ों लोगों के साथ खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, लेकिन आज उसी खेजड़ी का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 15 वर्षों में करीब 26 लाख खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यह संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि खेजड़ी के लगातार कटान से क्षेत्र की पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है।

- **बाड़मेर के शिव विधायक ने सदन में उठाया खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा**

इसके चलते राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पशु और राज्य पक्षी अस्तित्व के संकट में पहुंच गए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिनके संरक्षण के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज हम स्वयं उसी विरासत को नष्ट करने में लगे हैं। विधायक ने कहा कि राजस्थान का प्रत्येक जिला खेजड़ी, ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण के लिए खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कानूनों का अभाव है। उन्होंने सरकार से खेजड़ी संरक्षण के लिए कठोर और स्पष्ट कानून बनाने की मांग की। सदन में अपनी बात समाप्त करते हुए विधायक भाटी ने कहा कि यूजीसी से जुड़े कानूनों को लेकर जनता में रोष है, ऐसे में सरकार को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए जिनसे जनभावनाएं आहत हों और सामाजिक असंतोष बढ़े।

गेहूँ खरीद के लिए पंजीकरण 1 से

जयपुर (कासं)। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूँ) विक्रय हेतु पंजीयन 1 फरवरी 25 जून तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीयन हेतु किसान के पास अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान को जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना है उस बैंक खाते को अपने जन आधार में जुड़वाना आवश्यक होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर राजकीय कार्य दिवसों में प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारियों को एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

मनरेगा पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा : पुष्पेन्द्र सिंह

"यदि किसी को 7 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो आठवें दिन से उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा"

जयपुर (विसं)। भाजपा विधायक पुष्पेन्द्र सिंह ने गुरूवार को सदन में कहा कि कांग्रेस 'मनरेगा' को लेकर आमजन में भ्रम फैला रही है। अब 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार आमजन को मिलेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह बाली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में संशोधन करके उसे और बेहतर किया। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान एक मजबूत प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान में देश-विदेश से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए।

साल 2023-24 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 66 हजार रुपए थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2 लाख 37 हजार रुपए हो गई है। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी है और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है।

पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने भामाशाह योजना बंद कर दी थी और तीन साल बाद चिरंजीवी योजना लाई, लेकिन उससे भी लोगों को खास लाभ नहीं मिला।

कांग्रेस सरकार ने राजश्री योजना भी बंद कर दी थी। भाजपा सरकार ने राज्य राजमार्गों पर टोल बंद कर दिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने उन्हें फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा को बंद नहीं कर रही, बल्कि "जी-राम-जी" रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत यदि किसी को 7 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो आठवें दिन से उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

विद्यार्थियों ने पेश किए नवाचारपूर्ण मॉडल

जयपुर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर की ओर से गुरुवार को विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के 16 सेक्टर्स में जिला स्तर पर प्रथम चयनित विद्यार्थियों ने अपने-अपने नवाचारपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। प्रस्तुत मॉडलों में सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, फाइनेंस, आईटी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर सहित कुल 16 सेक्टर्स के मॉडल शामिल रहे। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने किया। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि कौशल विकास पर भी विशेष जोर देती है।

दिव्यांग अभ्यर्थी को पटवारी परीक्षा-2025 में अयोग्य मानने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में दिव्यांग श्रेणी के एक अभ्यर्थी, जिसने 2025 में पटवारी के पद के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, की उम्मीदवारी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह कहकर रद्द की गई कि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अयोग्य है, के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता देवांश सांघवान द्वारा याचिका पेश करी गई है, जिसमें राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष और उप रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृष्णवीर सिंह और अनुरूद्ध माथुर पैरवी के लिए पेश हुए थे, और न्यायाधीश समीर जैन ने सुनवाई के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारियों को जवाब-तलब किया है। और साथ ही आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता की श्रेणी की एक सीट चयन प्रक्रिया के दौरान रिक्त रखी जाये जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता। इस मामले की अगली तारीख 24 फरवरी तय की गई है।

- **अदालत ने कहा कि, "जब तक इस प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक एक पद रिक्त रखा जाए।"**
- **जस्टिस समीर जैन ने मामले की सुनवाई के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा रेवेन्यू बोर्ड के अफसरों से जवाब-तलब किया**
- **याचिकाकर्ता देवांश की ओर से अधिवक्ता कृष्णवीर सिंह और अनुरूद्ध माथुर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए पेश हुए थे**

उल्लेखनीय है कि इस मामले में याचिकाकर्ता एक दिव्यांगजन श्रेणी का व्यक्ति है जिसके पास उपर्युक्त मेडिकल बोर्ड से चालीस प्रतिशत दिव्यांगता होने का मेडिकल सर्टिफिकेट है, और साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी "यूनिक डिसेबिलिटी" आई.डी. कार्ड भी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2025 की पटवारी भर्ती परीक्षा में भी 4 प्रतिशत आरक्षित कोटा दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित है जिनके शरीर के निचले भाग में या पैरों में मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता पाई जाए।

यहां यह भी मामलो के तथ्यों के अनुसार इस परीक्षा के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिव्यांगजनों के लिए कटऑफ 162.4 तय करी थी और याचिकाकर्ता को 219.4 अंक प्राप्त हुए थे यानि वह दिव्यांगजनों के लिए दी गई कटऑफ से बेहतर अंक लेकर आया था। इसके बाद याचिकाकर्ता के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया और उसकी मेडिकल जांच भी करवाई गई। इस मेडिकल जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता की दिव्यांगता प्रतिशत 52 प्रतिशत है जो 40 प्रतिशत की न्यूनतम मानक से अधिक था। परन्तु इस मेडिकल जांच में एस.एम.एस. अस्पताल स्थित मेडिकल बोर्ड ने एक अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी कि याचिकाकर्ता को "मानप्लीजीअ" (एकांगघात)।

याचिकाकर्ता ने अदालत को कहा है कि इस टिप्पणी को आधार बताते हुए, संभवतय, कर्मचारी चयन बोर्ड उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी है। परन्तु उसे यह मेडिकल रिपोर्ट एस.एम.एस. के मेडिकल बोर्ड ने नहीं सौंपी है। याचिकाकर्ता ने गुहार की है कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस मेडिकल बोर्ड की कॉपी उपलब्ध कराए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया विज्ञापन जिसके तहत पटवारी परीक्षा आयोजित करी गई थी में कहीं पर यह वर्णित नहीं है कि "मानप्लीजीअ" (एकांगघात) से ग्रसित अभ्यर्थियों को दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि देश-प्रदेश में ऐसा कोई कानून या नियम भी नहीं है जिसे उद्रित करते हुए उसे दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए आरक्षण से वंचित किया जा सकता है। सभी तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों को जवाब-तलब किया है।

मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों और मछुआरों की बैठक लेकर समस्याओं पर चर्चा की।

जयपुर (कासं)। मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों तथा मछुआरों की समस्याओं के समाधान तथा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से आज मत्स्य कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन टोंक रोड स्थित आरएलडीबी के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहर सिंह बेढम, राज्य मंत्री, मत्स्य ने की। कार्यक्रम में शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा तथा निदेशक संचिता विश्नोई समेत वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्य कृषक और मछुआरे उपस्थित थे।

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मत्स्य पालन आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। कृषक संवाद कार्यक्रम सरकार और मत्स्य कृषकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं, जिससे जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझकर प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने मत्स्य कृषकों से नई तकनीकों को अपनाने और विभागीय योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, मत्स्य आहार की उपलब्धता तथा तालाब निर्माण जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य मंत्री ने मत्स्य बीमा योजना, ऋण सुविधा एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मत्स्य कृषकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य बीमा, ऋण सुविधा तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है।